

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>
<p>31/05/24</p>	<p>आज यह पत्रवाली पेशा हुई वकील प्रार्थी उपर। पूर्व: पत्रवाली दिनांक 24.07.24 को पेश हो।</p>
<p>24/7/24</p>	<p>वकील वकील प्रार्थी वकील प्रार्थी वकील वकील प्रार्थी वकील प्रार्थी अधिकारी महोदय... दिनांक 24/07/24</p>
<p>09/24</p>	<p>वकील वकील प्रार्थी वकील प्रार्थी अधिकारी महोदय... दिनांक 24/07/24</p>
<p>24.10.24</p>	<p>आज यह पत्रवाली पेशा हुई वकील प्रार्थी जिसके दिनांक 24/10/24 को पेशा हुआ। पत्रवाली जसे आज 24/10/24 को पेशा हुआ वकील प्रार्थी दिनांक 16.12.24 को पेशा हो</p>
<p>16.12.24</p>	<p>आज यह पत्रवाली पेशा हुई वकील प्रार्थी उपरी पत्रवाली नहीं पेशा जा रहा है। पत्रवाली जसे आज 16/12/24 को पेशा हुआ पत्रवाली दिनांक 25.01.25 को पेशा हो</p>
<p>29.1.25</p>	<p>वकील वकील प्रार्थी वकील प्रार्थी अधिकारी महोदय... दिनांक 11/02/25</p>
<p>11.02.25</p>	<p>आज यह पत्रवाली पेशा हुई वकील प्रार्थी उपरी पत्रवाली का अन्वय मान लिया गया पत्रवाली वकील प्रार्थी - 24/10/24 को पेशा हुआ आज 11/02/25 को पेशा हुआ। 1981/2008 मिर्जापूर दिनांक 17-06-2011 को मन्थन करने के बाद प्रस्तुत किया गया है प्रार्थी अधिकारी को वकील समय 24/10/24 प्रस्तुत करने के बाद</p>

व

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए

साक्ष्य के सबूत प्रस्तुत करने कहे जाते हैं।  
 उन्हे उल्लेख सम्बन्ध कोर्ट एपल सेबूट  
 प्रस्तुत नहीं किया जाता नहीं इस बात  
 कोर्ट निश्चय प्रस्तुत नहीं किया जाता।  
 अतः प्रार्थना - पर प्रार्थना इसी एपल  
 में खारिज किया जाता है। पत्रावली  
 के द्वारा सुनल है। नम्बर के नाम से काउ  
 त कमील जावे। रजिस्ट्रार रफ्तार है।

श्री  
 राजेश कुमार शर्मा  
 उपरवण्ड अधिकारी  
 मुंबई